दिनांक	कार्यवाही	
		में जारी हुए।
7.11.2014	वकील प्रार्थी हाजिर। पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/12/2014 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	
3/12/2014	वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 2 हाजिर नहीं जोर-बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। [illegible] तामील हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] पेश नहीं। [illegible] बन्द किया जाता है। बहस सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा खुरपुर की खातेदारी आ0 नं0 438 से 444 तक व 446, 458, 459, 456 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 21 बिघा 10 बिस्वा में गणेश, गोकल पिता सुखलाल तेली का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड था उनके हाल आ0 नं0 538 से 544 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.80 हेक्टर में तो गणेश, गोकल पिता सुखलाल तेली 1/2 दर्ज हो गये परन्तु शेष आ0नं0 524, 525, 526, 534, 536 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.66 हेक्टर में केवल गोकल पिता सुखलाल तेली के नाम पर दर्ज हो गये जिसमें 1/2 हिस्सा गणेश का था। ~~[illegible]~~ गोकल के वारिसान में से अप्रार्थी संख्या 02 वारिसों को छोड़ते हुए शेष ने अपना 5/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 को बैनामा कर दिया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की	

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर हक बाद में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाकर गुणावगुण पर निर्णय होगा। परन्तु प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से हक बाद 202/2013 के निर्णय तक मौजा खरखर प0ह0 खरखर तहसील कपासन की आराजी 524, 525, 2526, 534, 536 कुल किता 05 कुल रकबा 2-66 हेक्टर में अप्रार्थी संख्या 01 पन्नालाल पिता पन्नारमल जाट व अप्रार्थी संख्या 02 ज्ञानी पुत्री गोकल तेली के हक हिस्से बजुरायन्स रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बनाये रखे। पत्रावली कैफन मुताबिक बौरखन्नर (से आवे)। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़